

अध्याय –1
पी.पी.टी. – 2009 के आधार पर

मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम

सत्र : 2009–2010 के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम

1. मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग के पत्र क्र.एफ.....
..... दिनांक द्वारा मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, शासकीय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के तीन वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के सत्र 2009–2010 में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु जारी किये गये प्रवेश नियम निम्नानुसार है :-

1.1 सामान्य :

- 1.1.1.1 ये नियम मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा शासकीय एवं अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के नियम कहलायेंगे ।

- 1.1.1.2 **परिभाषा:**—इन नियमों में, जहाँ तक गंदाश में शब्दों का तात्पर्य अन्यथा न हो :-

1. श्रेणी: का तात्पर्य है इन चार श्रेणी में से एक उदा. अनारक्षित (UR) अनु.जाति (SC) अनु. जनजाति (ST) अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) (OBC)
2. व्यापम : का तात्पर्य है व्यावसायिक परीक्षा मण्डल म.प्र. भोपाल ।
3. सक्षम प्राधिकारी (स.प्रा) का तात्पर्य है जिसको मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा सक्षम प्राधिकारी घोषित किया गया है ।
4. प्राचार्य: का तात्पर्य है संस्था प्रमुख ।
5. मध्यप्रदेश (म.प्र.) का तात्पर्य है म.प्र. राज्य जो 01.11.2000 को अस्तित्व में आया ।
6. अ.भा.त.शि.प. : का तात्पर्य है अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली
7. संचालक का तात्पर्य है संचालक तकनीकी शिक्षा मध्यप्रदेश, भोपाल ।
8. कुलपति का तात्पर्य है कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल ।
9. वर्ग का तात्पर्य है इन चारों वर्गों में एक उदा० सैनिक (S) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (FF) विकलांग (H) बिना वर्ग (X) ।

- 1.1.2 ये नियम उन उम्मीदवारों पर लागू होंगे जो मध्यप्रदेश के पोलीटेकनिक महाविद्यालयों /महिला पोली. महाविद्यालयों जिनकी सूची तालिका -1 में दी गई है के प्रथम वर्ष में प्रवेश के इच्छुक है ।

1.2 उपलब्ध सीटें :

- 1.2.1 तालिका-एक में विभिन्न पोलीटेकनिक संस्थाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध ब्रांच, कुल सीटों की संख्या दर्शाई गई है ।

अगर काउंसिलिंग के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् नई दिल्ली/राज्य शासन द्वारा किसी संस्था में किसी पाठ्यक्रम के लिये स्वीकृति दी जाती है या किसी संस्था के पाठ्यक्रम में प्रवेश क्षमता में परिवर्तन किया जाता है तो उसे काउंसिलिंग में तदानुसार सम्मिलित किया जावेगा। पूर्व में काउंसिलिंग के माध्यम में प्रवेश किये गये उम्मीदवारों को ऐसी सीटों पर प्रवेश हेतु पात्रता नहीं होगी।

- 1.2.2 ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली की अधिसूचना क्रमांक 37-03/लीगल/2007 दिनांक 09.04.2007 के तहत महिलाओं, आर्थिक रूप से पिछड़े एवं विकलांग मेधावी उम्मीदवारों के लिए शिक्षण शुल्क छूट योजना के अंतर्गत ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा जिन संस्थाओं को अनुमति प्रदान की गई है उनमें संस्था की स्वीकृत प्रवेश क्षमता के अधिकतम 10 प्रतिशत तक स्थान उपलब्ध रहे हैं जो उम्मीदवार इस श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश चाहता है उन्हें व्यापम द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन करते समय स्पष्ट रूप से अपना विकल्प देना होगा साथ ही आर्थिक रूप से पिछड़े उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र कि उम्मीदवार के परिवार की समस्त स्रोतों से कुल वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है, प्रस्तुत करना होगा ।

1.3 सीटों का आरक्षण :

- 1.3.1 शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु पात्रता के लिए (सैनिक वर्ग एवं जम्मू-काश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार को छोड़कर) उम्मीदवार को नियम 1.4.2 के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने की शर्त को पूर्ण करना आवश्यक होगा । शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों में मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) अनु.जनजाति (ST) तथा अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) के उम्मीदवारों के लिए शासन के नियमानुसार सीटों का आरक्षण रहेगा ।

- 1.3.2 (अ)विभिन्न आरक्षित श्रेणियों में से उम्मीदवार केवल एक ही श्रेणी में आरक्षण का दावा कर सकता है ।
(ब)जिस श्रेणी में प्रवेश हेतु दावा किया जा रहा हो उम्मीदवार को उससे संबंधित प्रमाण-पत्र इस नियम पुस्तिका के अध्याय -4 में दिये गये निर्धारित प्रारूप में ही प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

1.3.3 महिला उम्मीदवारों हेतु आरक्षण:

- 1.3.3.1 स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में समस्त सीटें महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रहेगी परन्तु सह शिक्षा पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में महिला उम्मीदवारों हेतु प्रत्येक श्रेणी एवं वर्ग के अंतर्गत 30 प्रतिशत सीटों का "कम्पार्टमेंटलाइज्ड" क्षैतिज आरक्षण उपलब्ध होगा।
- 1.3.3.2 महिला उम्मीदवारों के लिये आरक्षण यथासंभव संस्थावार एवं ब्रांचवार होगा। महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में सिर्फ महिला उम्मीदवार को ही पात्रता होगी, किन्तु मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, भोपाल द्वारा जारी अधिसूचना क्रं./एफ-5-5/2007/42/1, दिनांक 10.2.2009 द्वारा राज्य की शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालय, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, खरगौन, बुरहानपुर, सागर, पन्ना नरसिंहपुर एवं भिण्ड को सहशिक्षा में परिवर्तित किया गया है। तथा यह निर्णय लिया गया है कि समस्त पात्र महिला उम्मीदवारों को प्रवेश देने के उपरान्त यदि कोई स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें पुरुष उम्मीदवारों से भरा जावेगा।
- 1.3.3.3 किसी भी श्रेणी के अंतर्गत किसी वर्ग में महिला उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर उस वर्ग की पात्रता के पुरुष उम्मीदवारों को प्रवेश दिया जावेगा, किन्तु महिलाओं के लिये आरक्षित स्थान अन्य श्रेणी/वर्ग में समायोजित नहीं किये जावेंगे।

1.3.4 विकलांग उम्मीदवारों हेतु आरक्षण (PH) श्रेणी :-

ऐसे विकलांग उम्मीदवार जो नियम 1.4.2 के अनुसार मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं उनके लिये प्रत्येक शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालय/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में 3 प्रतिशत सीटों को क्षैतिज (Horizontal) आरक्षण समस्त श्रेणियों में रखा गया है। यदि किसी श्रेणी में क्षैतिज आरक्षण के विरुद्ध विकलांग उम्मीदवार के अनुपलब्ध होने पर सीट रिक्त रहती है तो इस सीट को उसी श्रेणी के बिना वर्ग में परिवर्तित किया जा सकेगा।

टिप्पणी : इन सीटों के विरुद्ध प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को जिला चिकित्सा मंडल से विकलौंगता प्रमाणपत्र इसके साथ ही अधीक्षक भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांगों हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र (Superintendent, Vocational Rehabilitation Centre for Physically Handicapped, Govt. of India, Ministry of Labour) नेपियर टाउन जबलपुर द्वारा जारी पाठ्यक्रम पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होंगे।

1.3.5 मध्यप्रदेश की अनुसूचित जाति (SC) तथा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी

ऐसा उम्मीदवार जो म0प्र0 की अनुसूचित जाति (SC) अथवा अनुसूचित जनजाति (ST) श्रेणी में होने संबंधी पात्रता का दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका के अध्याय - 4 में दिए गए निर्धारित प्रारूप-1 अथवा प्रारूप -2 में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7/2/96/अ.प्र./एक दिनांक 1 अगस्त 1996 देखें।)

1.3.6

अन्य पिछड़ी जाति (OBC) श्रेणी (क्रीमीलेयर को छोड़कर) :-

ऐसा उम्मीदवार जो मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी में होने संबंधी दावा करता है उसे इस नियम पुस्तिका के अध्याय -4 में दिये गये निर्धारित प्रारूप - 3 (अ) अथवा प्रारूप- 3 (ब) में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र 30 अप्रैल 2007 के पूर्व जारी किया गया हो तो उम्मीदवार को परिवार की कुल वार्षिक आय का नवीनतम आय प्रमाण-पत्र जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो परामर्श के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। (म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) का आदेश क्रमांक एफ-7-2/96/अ.प्र./एक दिनांक 12 मार्च 1997 देखें एवं आदेश क्रमांकएच-7-16-2000/आ. प्र./एक, भोपाल दिनांक 06/07/2000)।

1.3.7

शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों, मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पॉलीटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत सैनिक तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के उम्मीदवारों के लिये क्रमशः 5 व 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रहेगा।

1.3.7.1 सैनिक वर्ग (S) :-

सैनिक वर्ग में प्रतिरक्षा कर्मचारियों के रूप में सेवा कर चुके भूतपूर्व सैनिक, कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी तथा ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं जिनकी सेवा के दौरान मृत्यु हो चुकी हो या जो सेवा के दौरान स्थाई रूप से विकलांग हो गये हो। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु दावा करने वाले उम्मीदवार को इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि, वह मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित भूतपूर्व सैनिक का पुत्र/पुत्री है। भूतपूर्व सैनिक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई, भूतपूर्व सैनिक की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भूतपूर्व सैनिक के पुत्र/पुत्री होने के फलस्वरूप प्रवेश का दावा करने वाले उम्मीदवार को अपने पिता/माता का भूतपूर्व सैनिक संबंधी प्रमाण -पत्र इस नियम पुस्तिका के अध्याय -4 में दिये गये निर्धारित प्रारूप-4 भाग 'अ' में तथा अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप -4 भाग "ब" में, संबंधित जिले के जिला सैनिक कल्याण अधिकारी (पूर्व का पदनाम सचिव जिला सैनिक बोर्ड) से प्राप्त कर प्रस्तुत करने होंगे।

अथवा

वह मध्यप्रदेश के बाहर पदस्थ ऐसे प्रतिरक्षा कर्मचारी का/की पुत्र/पुत्री है, जो मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी है (प्रमाण पत्र प्रारूप -5 में) एवं उम्मीदवार को अपने पिता/माता के मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी होने संबंधी प्रमाण-पत्र प्रारूप-8 में प्रस्तुत करना होगा। उम्मीदवार को दोनों प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

अथवा

वह 1 जनवरी 2009 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ प्रतिरक्षा कर्मचारी का /की पुत्र/पुत्री है (प्रमाण पत्र प्रारूप -5 में)।

टिप्पणी:

सैनिक वर्ग के अंतर्गत किसी उम्मीदवार की पात्रता के संबंध में किसी संदेह अथवा विवाद की स्थिति में संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।

1.3.7.2 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग (FF) :

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के उन पुत्रों/पुत्रियों एवं पौत्रों/पौत्रियों/ नातीयों/नातिनों को प्रवेश की पात्रता होगी जो नियम 1.4.2 के अनुसार मध्यप्रदेश के वास्तविक निवासी होने की शर्त पूर्ण करते हैं। इस नियम के प्रयोजन के लिये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से तात्पर्य यह है कि उसका नाम मध्यप्रदेश के संबंधित जिले के कलेक्टर में रखी हुई सूची में पंजीकृत है।

टिप्पणी: स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को मध्यप्रदेश के संबंधित जिले कलेक्टर से प्रारूप -6 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा। केवल कलेक्टर अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण-पत्र ही उम्मीदवार का इस वर्ग का होने संबंधी एक मात्र वैध प्रमाण पत्र होगा।

1.3.7.3 **बिना वर्ग (X) :** जो उम्मीदवार उपरोक्त दोनों वर्गों में से किसी भी एक वर्ग के अंतर्गत प्रवेश का उम्मीदवार नहीं होगा उसे उसकी संबंधित श्रेणी के अंतर्गत बिना वर्ग का उम्मीदवार माना जावेगा।

1.3.8 जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग :

1. जम्मू एवं काश्मीर राज्य विस्थापितों के लिये प्रत्येक शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित प्रत्येक स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालय एवं अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालय तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में एक-एक सीट प्रवेश क्षमता के अतिरिक्त आरक्षित है। इस वर्ग के अंतर्गत प्रवेश हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवार को निर्धारित प्रारूप-12 में जम्मू काश्मीर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
2. इसी वर्ग के अंतर्गत मध्यप्रदेश सेवा के ऐसे अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं काश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण में रही हो और जिनके पुत्र/पुत्रियों ने जम्मू एवं काश्मीर राज्य से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण की हो, को भी आरक्षित स्थानों के अंतर्गत प्रवेश की पात्रता होगी। ऐसे उम्मीदवारों को निर्धारित प्रारूप- 13 में प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.4 प्रवेश हेतु पात्रता :

1.4.1 शैक्षणिक अर्हता :

सभी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवार का निम्नालिखित में से कोई भी एक परीक्षा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित मुख्य विषयों के रूप में लेकर उत्तीर्ण होना आवश्यक है :

- 1 माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश की (10+2) प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा ।
- 2 किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा संचालित कोई भी अन्य समकक्ष अथवा उच्च परीक्षा ।

1.4.2 वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकताएं :

शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों की सभी सीटों में प्रवेश हेतु चयन के लिये केवल ऐसे उम्मीदवार (सैनिक वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का दावा करने वाले उम्मीदवारों तथा जम्मू –काश्मीर राज्य के विस्थापित वर्ग के उम्मीदवारों को छोड़कर) को पात्रता होगी :

1. जो भारत का नागरिक हो ।
2. (क) जिसने वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक के पांच वर्षों की अवधि में मध्यप्रदेश में स्थित शिक्षण संस्था में कम से कम लगातार तीन वर्षों तक अध्ययन किया हो । (प्रमाण पत्र प्रारूप-7 में)

अथवा

- (ख) जो नीचे दिये गये स्पष्टीकरण (1) के अनुसार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी हो ।
(प्रमाण पत्र प्रारूप-8 में)

अथवा

(ग) जो निम्नलिखित का पुत्र/पुत्री हो :-

- (1) मध्यप्रदेश शासन के सेवारत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश शासन के सेवा में होते हुए मृत कर्मचारी अथवा मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी (प्रमाण पत्र प्रारूप-9 में)

अथवा

- (2) केंद्रीय शासन का ऐसा कर्मचारी (जिसमें सशस्त्र सेना के कर्मचारी, भारतीय डाकतार, टेलीफोन तथा रेलवे विभाग के कर्मचारी सम्मिलित हैं) अथवा सार्वजनिक उपक्रम का ऐसा कर्मचारी हो 1 जनवरी 2009 को अथवा उसके पूर्व की तिथि से प्रवेश की तिथि तक मध्यप्रदेश में पदस्थ हो । (प्रमाण पत्र प्रारूप-10 में)

अथवा

- (3) ऐसा व्यक्ति जो केंद्रीय शासन अथवा मध्यप्रदेश राज्य शासन की किसी योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश में स्थाई रूप से बस गया हो । (प्रमाण पत्र प्रारूप-11 में)

स्पष्टीकरण -1

मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी: उम्मीदवार मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी तभी माना जावेगा

जब वह नीचे दी गई दोनों शर्तों – (अ) एवं (ब) की पूर्ति करेगा ।

- (अ) वह मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो ।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा यदि पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर 15 वर्ष से रह रहा /रही हो ।

अथवा

उम्मीदवार स्वयं अथवा उसका पिता या माता (यदि पिता जीवित न हो) अथवा पिता/माता दोनों जीवित न हों तो उसका वैध अभिभावक परीक्षा के वर्ष के पहले कम से कम पांच वर्षों से मध्यप्रदेश में कोई व्यवसाय अथवा व्यापार कर रहा हो अथवा कोई अंचल संपत्ति रखता हो ।

एवं

- (ब) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक अध्ययन किया हो, जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी ।

अथवा

उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से आठवीं कक्षा अथवा **(10+2)** प्रणाली की दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण की हो ।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश का वास्तविक निवासी संबंधी प्रमाण पत्र (प्रारूप -8 के अनुसार) संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा अथवा कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जारी किया जाना चाहिए । इस प्रमाण पत्र में संदर्भ क्रमांक, जारी करने की तिथि व कार्यालय सील तथा जारी करने वाले अधिकारी के नाम व पद का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है ।

स्पष्टीकरण -2(अभिभावक)

किसी भी उम्मीदवार के अभिभावक से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संबंधित जिला दंडाधिकारी की राय में आवेदक के पिता और माता की मृत्यु के बाद से आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की तिथि तक उसका अथवा उसकी अचल संपत्ति का अथवा दोनों का वास्तविक संरक्षक/नियंत्रक हो अभिभावक होने के संबंध में सक्षम न्यायालय से तदाशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि उम्मीदवार के पिता जीवित न हों, परन्तु माता जीवित हो तो माता को ही उम्मीदवार का स्वाभाविक अभिभावक माना जावेगा और अन्य किसी व्यक्ति को अभिभावक के रूप में मान्यता नहीं होगी ।

1.5 प्रवेश हेतु चयन पद्धति :

- 1.5.1 पॉलीटेक्निक महाविद्यालयों के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उम्मीदवारों के चयन के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) तथा गणित विषयों में प्रवेश परीक्षा एक प्रश्न पत्र में पी.पी.टी. 2009 आयोजित की जावेगी। प्रश्न पत्र में भौतिकी एवं रसायन शास्त्र विषय के 50-50 प्रश्न तथा गणित विषय के 50 प्रश्न होंगे। इस प्रकार प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न होंगे।

- 1.5.2 उम्मीदवारों द्वारा विज्ञान (भौतिकी एवं रसायन) एवं गणित विषयों में प्राप्तांक के आधार पर व्यापम द्वारा श्रेणीवार योग्यताक्रम एवं प्रतीक्षा सूचियां तैयार की जाएंगी ।
- 1.5.3 राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में स्वर्णपदक प्राप्त करने वाले छात्र-छात्राओं के लिये व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांकों के आधार पर 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार :-

पी.पी.टी.-2009 परीक्षा में सम्मिलित ऐसे छात्र/छात्राओं के जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लिया हो तथा उसमें स्वर्ण पदक पाया हो तो उसके द्वारा व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में जितने भी अंक प्राप्त किये हो उसके 10 प्रतिशत अंको का अधिभार देकर उसका मेरिट सूची में स्थान निर्धारित किया जायेगा। उम्मीदवार को राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेलकूद प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर स्वर्ण पदक प्राप्त करने के विषय में निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र संचालक, खेल एवं युवक कल्याण विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।

1.6 प्रवेश प्रक्रिया:

उम्मीदवारों द्वारा पी.पी.टी. - 2009 में प्राप्तांकों के आधार पर व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा तैयार की गई योग्यताक्रम सूचियों के अनुसार उम्मीदवारों को प्रवेश परामर्श (काउंसिलिंग) द्वारा दिया जावेगा। काउंसिलिंग समिति सक्षम प्राधिकारी कुलपति, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा गठित की जावेगी ।

- 1.6.1 काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने के लिये उम्मीदवार को काउंसिलिंग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना पत्र यू.पी.सी. डाक से भेजा जावेगा। सूचना पत्र डाक में पत्र गुम होने अथवा देरी से प्राप्त होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी उत्तरदायी नहीं होगा। उम्मीदवारों के सूचनार्थ काउंसिलिंग की तिथियां भोपाल से प्रकाशित **“रोजगार और निर्माण”** में भी प्रकाशित की जावेगी। अतः पी.पी.टी.-2009 का परीक्षा परिणाम घोषित होने के पश्चात् काउंसिलिंग की तिथियों की जानकारी हेतु उम्मीदवार **“रोजगार और निर्माण”** के अंक आवश्यक रूप से देखते रहें। (साथ ही उम्मीदवार व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल तथा निकट के पोलीटेकनिक महाविद्यालय से भी संपर्क बनाये रखें ।)
- 1.6.2 काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने वाले उम्मीदवार को काउंसिलिंग फार्म प्रारूप-14 (क्रमांक 1 से 13 तक की प्रविष्टियां पूर्ण कर) तथा उसमें उल्लिखित सभी आवश्यक मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज (एक-एक फोटो -प्रति सहित) तथा फीस की अग्रिम राशि के भुगतान के रूप में ₹0 1000 (रुपये एक हजार) का एकाउंट पेयी बैंक ड्राफ्ट, जो तत्समय के सक्षम प्राधिकारी के नाम से देय हो अपने साथ लाना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रिमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा फीस की अग्रिम राशि देय नहीं है । अतः उन्हें बैंक ड्राफ्ट नहीं लाना है।

- 1.6.3 काउंसिलिंग के दौरान प्रवेश की पात्रता रखने वाले उम्मीदवारों को उनके योग्यताक्रमानुसार उन्हें सीट/संस्था/ब्रांच में प्रवेश की संभावनायें बताई जावेंगी, जिसका चयन वे उपलब्धता के आधार पर इच्छानुसार कर सकेंगे। उम्मीदवार को प्रवेश की समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये तथा फीस की अग्रिम राशि रू0 1000/- (रूपये एक हजार) का ड्राफ्ट जमाकर (केवल अनारक्षित UR श्रेणी के उम्मीदवार) प्रवेश लेना होगा। फीस की शेष राशि उम्मीदवार को प्रवेशित संस्था में जमा करना होगी। सभी श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रवेशित संस्था में मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन फीस की राशि देय होगी, जो परिशिष्ट में दर्शायी गयी है ।
- 1.6.4.1 यदि उम्मीदवार काउंसिलिंग हेतु उपस्थित होने में असमर्थ रहता है या काउंसिलिंग के समय आवश्यक प्रमाण –पत्र/दस्तावेज, निर्धारित प्रारूप में (अध्याय-4 में दर्शाये अनुसार) प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो वह अपनी योग्यताक्रमानुसार संस्था/ब्रांच के चयन का अवसर खो देगा तथा बाद में परामर्श की अवधि के दौरान उपस्थित होने पर उसे प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा। ऐसी स्थिति में जिस दिन भी वह उपस्थित होगा उसे उस दिन उपलब्ध सीट/संस्था/ब्रांच में ही प्रवेश देने के संबंध में विचार किया जा सकेगा । यदि उम्मीदवार काउंसिलिंग की अंतिम तिथि के दिन भी उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जावेगा कि उसकी किसी भी सीट/संस्था /ब्रांच में प्रवेश लेने की रुचि नहीं है और इस प्रकार वह अपने प्रवेश का अधिकार खो देगा ।
- 1.6.4.2 **गंभीर बीमारी** : यदि कोई उम्मीदवार गंभीर बीमारी या दुर्घटना के कारण अस्पताल में भर्ती होने से परामर्श की नियत तिथि पर उपस्थित रहने में असमर्थ है तथा यदि वह इस आशय का चिकित्सा प्रमाण-पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से प्राप्त कर प्रस्तुत करते हैं, तब उनके पिता/अभिभावक जिन्हें उम्मीदवार द्वारा अधिकृत किया है, उसके स्थान पर काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकेंगे। ऐसे उम्मीदवार द्वारा प्रवेश लेने के उपरांत यदि दस्तावेजों के प्रवेशित संस्था के स्तर पर सत्यापन के समय यदि यह पाया जाता है कि उसके द्वारा गलत जानकारी दी गई है तो उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा और संबंधित के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही के लिये विभाग सक्षम होगा ।
- 1.6.5 (अ) पी.पी.टी. परीक्षा-2009 में प्राप्तांकों के आधार पर आरक्षित श्रेणी के ऐसे उम्मीदवार जो अनारक्षित श्रेणी की योग्यताक्रम (Merit) सूची में स्थान प्राप्त करेंगे, उनकी गणना अनारक्षित श्रेणी में की जावेगी, ऐसे उम्मीदवार अपनी इच्छानुसार अनारक्षित श्रेणी अथवा संबंधित श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन मेरिट के आधार पर कर सकेंगे। जितने उम्मीदवार संबंधित आरक्षित श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध संस्था/ब्रांच का चयन करेंगे उतने उम्मीदवारों की संख्या के बराबर अनारक्षित श्रेणी की मेरिट सूची के उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध स्थानों में से बचे हुये स्थानों का अनुपातिक आधार पर अतिरिक्त रूप से संबंधित आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु योग्यताक्रमानुसार उपलब्ध कराया जावेगा ।

टिप्पणी : अनारक्षित श्रेणी की योग्यताक्रम सूची से तात्पर्य ऐसी सूची से होगा जिसमें सम्मिलित उम्मीदवारों की संख्या, उन सभी सीटों के अंतर्गत, अनारक्षित श्रेणी की सीटों की संख्या के योग के बराबर होगी, जिनमें विभिन्न आरक्षित श्रेणियों के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान है ।

(ब) जिन सीटों में किसी आरक्षित श्रेणी/वर्ग के अंतर्गत आरक्षण का प्रावधान नहीं है उन सीटों के विरुद्ध प्रवेश हेतु उस आरक्षित श्रेणी/वर्ग के उम्मीदवारों की गणना अनारक्षित श्रेणी/बिना वर्ग में की जाकर उन्हें मेरिट के आधार पर अनारक्षित श्रेणी/बिना वर्ग के अंतर्गत प्रवेश दिया जा सकेगा ।

1.6.6 (अ) किसी भी श्रेणी के अंतर्गत सैनिक अथवा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को उसी श्रेणी के बिना वर्ग (X) में परिवर्तित कर भरा जावेगा ।

(ब) किसी भी श्रेणी के अंतर्गत "बिना वर्ग" में प्रवेश हेतु पात्र उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर रिक्त स्थानों को निम्नानुसार अन्य श्रेणी में परिवर्तित कर भरा जावेगा –

अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इसी प्रकार अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित रिक्त स्थान अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे। इन दोनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर इन श्रेणियों के रिक्त स्थानों को अन्य पिछड़ी जाति श्रेणी के उम्मीदवारों से भरा जावेगा । जब इन तीनों श्रेणियों के उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध न होंगे तब रिक्त स्थान अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों से भरे जावेंगे ।

1.6.7 मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी तथा गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को भी काउंसिलिंग हेतु उनकी योग्यताक्रमानुसार बुलाया जावेगा और उन्हें भी काउंसिलिंग के दौरान यह बताया जायेगा कि मेरिट के आधार पर उनका प्रवेश किस संस्था में संभव है जिसका चयन वे उपलब्धता के आधार पर इच्छानुसार कर सकेंगे तथापि यदि किसी श्रेणी को योग्यताक्रम सूची के ऐसे उम्मीदवार जो किसी संस्था विशेष में प्रवेश लेने के इच्छूक होंगे उन्हें पृथकतः काउंसिलिंग के लिये बुलाकर इच्छित संस्था का आवंटन किया जा सकेगा परन्तु उन्हें ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था में उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। इन उम्मीदवारों के लिए इस प्रकार इच्छित संस्था का चुनाव शासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में उस श्रेणी में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों की संख्या तक तथा मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालयों/अनुदान प्राप्त पोलीटेकनिक महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु उपलब्ध कुल सीटों की संख्या तक उपलब्ध रहेगा ।

टिप्पणी : गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों के पुत्र/पुत्रियों को इस आशय का प्रमाण-पत्र कि उनके पिता/माता गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्तियों की श्रेणी में आते हैं सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। मध्यप्रदेश राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों को अपने पिता/माता के नियोक्ता से इस आशय का प्रमाण पत्र कि उनके पिता/माता राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी हैं, प्राप्त कर प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

1.6.8 बिना ब्रांच के प्रवेश :

पी.पी.टी. 2009 प्रवेश नियम 1.6.6 (अ), (ब) एवं 1.3.3.3 के अनुसार यदि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार न्यूनतम अंक की काउंसिलिंग करने के पश्चात् भी उपलब्ध नहीं होते हैं तो इन सीटों को नियम 1.6.6(अ), (ब) एवं 1.3.3.3. के अनुसार परिवर्तित करना होता है।

उक्त नियम के अनुसार सीट परिवर्तित करने पर कुछ पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में ऐसी ब्रांच उपलब्ध हो जाती है जो पूर्व में उच्च प्राप्तांक वाले उम्मीदवारों को उनकी काउंसिलिंग के दौरान रिक्त नहीं रहने के कारण उन्हें आवंटित नहीं की जाती हैं। ऐसी स्थिति में परिवर्तन के बाद उपलब्ध हुए स्थानों को बिना ब्रांच के उसी संस्था में दर्शाकर प्रवेश दिया जायेगा। इस प्रकार प्रवेशित बिना ब्रांच के उसी संस्था के प्राचार्य द्वारा पूर्व में संस्था में प्रवेशित छात्रों से विधिवत आवेदन बुलवाकर मेरिट के अनुसार ब्रांच का आवंटन करने की कार्यवाही की जावेगी।

1.6.9 एक बार उम्मीदवार काउंसिलिंग के द्वारा किसी संस्था/ब्रांच में प्रवेश ले लेता है तो बाद में उसे संस्था/ब्रांच में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जावेगी। तथापि उम्मीदवार अन्य संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से अथवा अन्य किन्हीं कारणों से रिक्त होने वाली सीटों के विरुद्ध नियम 1.6.10 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार प्रवेश ले सकता है, परन्तु ऐसे उम्मीदवार को अन्य संस्थाओं की रिक्त सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने के पूर्व प्रवेशित संस्था से अपना प्रवेश निरस्त करवाना आवश्यक होगा।

किसी भी प्रवेशित उम्मीदवार द्वारा उसके स्वयं के अनुरोध पर प्रवेश निरस्त करवाने पर, उसके द्वारा काउंसिलिंग/प्रवेश के समय जमा की गई फीस की राशि में से 10 प्रतिशत राशि की कटौती कर शेष राशि वापस की जावेगी, परन्तु ऐसे उम्मीदवारों को अपने प्रवेश राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा घोषित प्रवेश की अंतिम तिथि के 07 दिवस पूर्व तक निरस्त करवाना आवश्यक होगा।

1.6.10 पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में काउंसिलिंग की अंतिम तिथि सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित की जावेगी तथा इस तिथि के पश्चात्, काउंसिलिंग द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरांत रिक्त रह गई सीटों के विरुद्ध तथा संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से अथवा किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हुई सीटों के विरुद्ध प्रवेश की कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्रतीक्षा सूची के

उम्मीदवारों से की जावेगी। प्रवेश की यह कार्यवाही संबंधित संस्थाओं द्वारा घोषित एक निश्चित तिथि को सक्षम प्राधिकारी के प्रतिनिधि की उपस्थिति में काउंसिलिंग द्वारा मेरिट के आधार पर की जावेगी।

संस्थाओं में प्रवेशित छात्रों द्वारा अपना प्रवेश निरस्त करवा लेने से या किन्हीं अन्य कारणों से रिक्त हुई सीटों के विरुद्ध प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों को बिना ब्रांच के प्रवेश दिया जावेगा। ब्रांच का आवंटन प्रवेशित संस्था के प्राचार्य द्वारा उनकी मेरिट के आधार पर किया जावेगा। प्राचार्य संस्था में पूर्व प्रवेशित छात्रों की मेरिट के आधार पर रिक्त ब्रांचों में प्रवेश की कार्यवाही करेंगे और तदनुसार ब्रांचों में हुई रिक्तियों को इसी प्रकार भरे जाने की प्रक्रिया तब तक जारी रखेंगे जब तक कि उस संस्था के उच्च मेरिट अंक प्राप्त छात्र ब्रांच आवंटन के लिये अपने विकल्प का उपयोग नहीं कर लेते। इसके पश्चात् ही बची हुई ब्रांच रिक्त स्थान के विरुद्ध प्रवेशित उम्मीदवार को आवंटित की जा सकेगा।

- 1.6.11 पी.पी.टी. परीक्षा परिणाम— 2009 के समस्त पात्र उम्मीदवारों को प्रवेश देने के पश्चात् भी यदि संस्थाओं में स्थान रिक्त रह जाते हैं तो उन्हें अर्हकारी परीक्षा की मेरिट के आधार पर भरा जावेगा।
- 1.6.12 काउंसिलिंग प्रक्रिया द्वारा प्रवेश की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के पश्चात् मध्यप्रदेश राज्य शासन अपना यह अधिकार सुरक्षित रखता है कि वह शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों मध्यप्रदेश शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलिटेकनिक महाविद्यालयों अथवा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों की सीटों के विरुद्ध प्रवेशित किसी भी छात्र/छात्रा को एक संस्था से दूसरी संस्था में स्थानांतरित करें, चाहे उसके मेरिट अंक कुछ भी हों। ऐसे प्रकरण किसी भी परिस्थिति में प्रत्येक पॉलीटेकनिक महाविद्यालय में चार सीटों से अधिक नहीं होंगे तथा इस प्रकार स्थानांतरित छात्र/छात्रा को इंजीनियरिंग की वही ब्रांच मिलेगी। जिसमें उसने काउंसिलिंग के माध्यम से पूर्व में प्रवेश लिया होगा।
- 1.7 प्रवेश रद्द करना— यदि यह पाया गया कि कोई उम्मीदवार किसी संस्था में झूठी/गलत सूचना देकर या सुसंगत तथ्यों को छुपाकर प्रवेश पा लेने में सफल हो गया है या प्रवेश के पश्चात् किसी भी समय यह पाया गया कि उम्मीदवार को किसी गलती या चूकवश प्रवेश मिल गया है तो उम्मीदवार को दिया गया प्रवेश संस्था प्रमुख द्वारा उसके अध्ययनकाल के दौरान तुरंत बिना सूचना के रद्द किया जा सकेगा। प्रवेश संबंधी किसी भी विवाद या शंका पर कुलपति राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा।
- 1.8 उम्मीदवारों के प्रवेश हेतु चयन संबंधी नीतियों के प्रश्नों पर तथा प्रवेश नियमों के अर्थ लगाने (**Interpretation**) संबंधी कोई प्रश्न उपस्थित होने पर निर्णय लेने में राज्य शासन अंतिम प्राधिकारी रहेगा तथा यह निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।
- 1.9 मध्यप्रदेश राज्य शासन प्रवेश के किसी भी नियम/प्रक्रिया में किसी भी समय जनहित में आवश्यकतानुसार संशोधन करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है तथा इस तरह किया गया कोई भी संशोधन बंधनकारी होगा।

:: परिशिष्ट ::

विभिन्न पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में वर्ष 2009-2010 में देय शिक्षण शुल्क की जानकारी :-

1. अनारक्षित श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क :
- (अ) समस्त शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों, राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित एवं अनुदान प्राप्त पोलिटेकनिक महाविद्यालयों तथा स्वशासी एवं शासकीय महिला पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में शिक्षण शुल्क एवं विकास शुल्क (इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के लिये) निम्नानुसार देय होगा :
- 1 राज्य शासन द्वारा स्वशासी घोषित पोलिटेकनिक महाविद्यालयों एवं अनुदान प्राप्त पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में
शिक्षण शुल्क **रु0 10000**
- 2 शासकीय पोलिटेकनिक महाविद्यालयों में
शिक्षण शुल्क **रु0 7500**
- (ब) अन्य शुल्क समस्त श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा प्रतिवर्ष निम्नानुसार देय होगा।
1. समेकित निधी (प्रवेश) **रु0 5.00**
2. छात्र सहायता **रु0 5.00**
3. स्थानीय परीक्षा शुल्क **रु0 20.00**
4. अमलगमेटेड फंड **रु0 40.00**
5. इंटर पोलिटेकनिक गेम्स (स्थानीय क्रीड़ा शुल्क) **रु0 50.00**
6. प्रशिक्षण तथा प्लेसमेंट **रु0 100.00**
7. राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क: वि.वि. के निर्धारण के अनुसार
- 01 नामांकन शुल्क **रु0 75.00**
- 02 छात्र सहायता निधि **रु0 30.00**
- 03 बुक बैंक **रु0 20.00**
- 04 छात्र दुर्घटना निधि **रु0 20.00**
- 05 डीसेवल फंड **रु0 20.00**
- 06 अन्तर पोलिटेकनिक क्रीड़ा शुल्क **रु0 50.00**
- 07 विश्वविद्यालय विकास शुल्क **रु0 100.00**
- 08 अंतर पोलिटेकनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम शुल्क **रु0 40.00**

(स) वापसी योग्य अवधान राशि (एक बार) समस्त श्रेणी के छात्र/ छात्राओं द्वारा देय होगी

- | | | |
|----|------------------------------|------------|
| 1 | संस्था के लिये अवधान राशि | रु0 100.00 |
| 2. | छात्रावास के लिये अवधान राशि | रु0 100.00 |

2. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क :
मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति श्रेणी के विद्यार्थियों द्वारा शासन के आदेश क्रमांक एफ-12-42/99/25/2 दिनांक 10/7/03 के अनुसार फीस देय होगी।

3. अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के छात्र/छात्राओं द्वारा देय शुल्क:

मध्यप्रदेश शासन आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये जारी योजना 88-89 विनियम के कंडिका (5) तीन (ख) में दिये गये निर्देशों के साथ मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति हरिजन एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा पिछड़ा वर्ग मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिये जारी पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के आदेश क्रमांक एफ/8-3/2007/54-1 दिनांक 19.12.2007 के द्वारा संशोधित अधिकतम आय सीमा के अनुसार, ऐसे छात्र जिनके माता-पिता/अभिभावक की आय सभी स्रोतों से रूपये 75000 प्रतिवर्ष से अधिक न हो, के द्वारा देय सम्पूर्ण शिक्षण शुल्क की राशि की प्रतिपूर्ति आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा की जावेगी।

अन्य पिछड़े वर्ग के जिन छात्र/छात्राओं को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं है उन छात्र/छात्राओं को संस्थाओं में वही शिक्षण शुल्क देय होगा, जो उपरोक्त (1) में अनारक्षित श्रेणी के छात्र/छात्राओं के लिये निर्धारित है।

तालिका -1

सत्र 2009-2010 में विभिन्न पॉलीटेक्निक संस्थाओं में प्रवेश हेतु उपलब्ध ब्रांच तथा श्रेणीवार सीटों की संख्या

(अ) शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय

स. क्रं.	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय	उपलब्ध इंजीनियरिंग ब्रांच(सीट)	कुल सीटें
1.	अशोक नगर	सिविल (60) मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेली.(60), इलैक्ट्रिकल(60)	240
2.	बालाघाट	सिविल (60) मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रिकल(60) कम्प्यूटर साइंस (60)	240
3.	बैतूल	मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रिकल(60) इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	240
4.	डबरा	इलैक्ट्रिकल(60)	60
5.	हरदा	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60), कम्प्यूटर साइंस (60)	240
6.	जावद	मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60)	120
7	खिरसाडोह	सिविल (60), मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60), इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	300
8	खुरई	सिविल (60) ,मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60)	180
9	पचौर	मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रिकल(60)	120
10	सनावद	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60) कम्प्यूटर साइंस (60)	240
11.	सिवनी	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60) कम्प्यूटर साइंस (60)	240
12.	सतना	मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60) कम्प्यूटर साइंस (60)	180
13.	शहडोल	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60) कम्प्यूटर साइंस (60)	240
14.	टीकमगढ़	मैकेनिकल (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	120
15.	बैठन	मैकेनिकल(60) इलैक्ट्रिकल(60) कम्प्यूटर साइंस (60)	180
16.	राघौगढ़	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड इंस्ट्रुमेंटेशन इंजी (60)	60
17.	बड़वानी	कम्प्यूटर साइंस (60)	60
18.	बुरहानपुर	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	120
19.	छिन्दवाड़ा	कम्प्यूटर साइंस (60)	60
20.	खरगौन	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60) इंफारमेशन टेक्नालाजी (60)	180
21..	नरसिंहपुर	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	120
22.	सागर	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	120
23.	भिण्ड	कम्प्यूटर साइंस (60)	60
		कुल योग-	3720

(ब) शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक तथा अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक

क्र.	शासकीय पोलीटेकनिक	उपलब्ध इंजीनियरिंग ब्रांच (सीट)	कुल सीट
शासन द्वारा घोषित स्वशासी पोलीटेकनिक महाविद्यालय			
1.	भोपाल	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रानिक्स (70) इलैक्ट्रिकल(70) कम्प्यूटर साइंस (60) इंफारमेशन टेक्नालाजी (60)	380
2.	ग्वालियर	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60) इंफारमेशन टेक्नालाजी (60)	240
3.	जबलपुर	सिविल (60) मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रिकल (60) इलैक्ट्रानिक्स (60) इंफारमेशन टेक्नालाजी (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	360
4.	उज्जैन	मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रिकल(60) इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेली. (60) कम्प्यूटर साइंस (60) इंफारमेशन टेक्नालाजी (60)	300
5.	दमोह	सिविल (60) मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रिकल (60), इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	300
6.	जावरा	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60) कम्प्यूटर साइंस (60)	240
7.	खण्डवा	सिविल (60) मैकेनिकल (60), इलैक्ट्रिकल (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	240
8.	नौगांव	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल (60) इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	300
9.	धार	कम्प्यूटर साइंस (60) इंफारमेशन टेक्नालाजी (60)	120
		कुल योग-	2480
अनुदान प्राप्त अशासकीय पोलीटेकनिक महाविद्यालय			
10.	इंदौर (श्री वैष्णव पोली)	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल (60) इलैक्ट्रानिक्स (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	300
11.	विदिशा (एस.ए.टी.आई.)	सिविल (60) मैकेनिकल(60), इलैक्ट्रिकल(60) इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60) इंफारमेशन टेक्नालाजी (60)	360
		कुल योग-	660
स) शासकीय महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय			
1.	भोपाल	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	120
2.	जबलपुर	इलैक्ट्रानिक्स एण्ड टेलीकम्युनिकेशन (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	120
3.	ग्वालियर	इंफारमेशन टेक्नालाजी (60) कम्प्यूटर साइंस (60)	120
शासन द्वारा स्वशासी घोषित महिला पोलीटेकनिक महाविद्यालय			
1.	इन्दौर	कम्प्यूटर साइंस (60)	60
		कुलयोग	420
		महायोग-	7280

अध्याय-4

प्रमाण पत्रों के प्रारूप
प्रारूप-1 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र

(नियम 1.3.5 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

प्रमाण- पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण – पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नामनिवासी/ग्राम/नगर
वि.ख.....तहसील.....जिला.....संभाग.....के.....
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के
अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट
किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति
(संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं.
अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

(सील)

प्रारूप-2 : अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र
(नियम 1.3.5 देखें)

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभागजिला.....मध्यप्रदेश

अस्थाई प्रमाण-पत्र

पुस्तक क्रमांक..... प्रकरण क्रमांक.....
प्रमाण- पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण - पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति का नामनिवासी/ग्राम/नगर
वि.ख.....तहसील.....जिला.....संभाग.....के.....
जाति/जनजाति का/की सदस्य है और इस जाति/जनजाति को संविधान के अनुच्छेद 341 के
अधीन मध्यप्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में विनिर्दिष्ट
किया गया है और यह जाति/जनजाति अनुसूचित जाति एवं जनजाति
(संशोधन) अधिनियम, 1976 के अंतर्गत मध्यप्रदेश की सूची में अनुक्रमांक.....पर अंकित हैं.
अतः श्री/श्रीमती/कुमारी पिता/पति का नाम
.....अनुसूचित जाति/जनजाति का/की है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/श्रीमती/कुमारी
के परिवार की कुल वार्षिक आय रुपये है।

दिनांक :

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

यह प्रमाण पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध होगा ।

प्रारूप-3 (अ) : मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र का प्रारूप (नियम 1.3.6 देखें)

स्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्रीआत्मज श्री
.....निवासी / ग्राम.....जिला / संभाग.....
मध्यप्रदेश के निवासी हैं, जोजाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग कल्याण
विभाग की अधिसूचना क्र.एफ.8-5 / पच्चीस / 4 / 84 दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमन्य
किया गया है.

श्रीऔर / या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला.....
संभाग.....में निवास करता है. व मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.....को
प्रव्रजन कर चुका है.

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री(पिता का नाम)
क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों / वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत सरकार,
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360 / 2 / 22 / 93 / स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक 8-9-93
द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक
एफ.7-26 / 93 / 1 / आ.प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की अनुसूची के
कालम (3) में किया गया है.

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री / श्रीमती / कुमारी.....के
परिवार की कुल वार्षिक आय रूपयेहै ।

दिनांक:.....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप-3 (ब) : मध्यप्रदेश की अन्य पिछड़ी जाति (क्रीमीलेयर को छोड़कर)
श्रेणी के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाला प्रमाण-पत्र
(नियम 1.3.6 देखें)

अस्थायी प्रमाण-पत्र

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (प्रमाणीकरण)

अनुभाग.....जिला.....मध्यप्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण-पत्र क्रमांक.....

प्रकरण क्रमांक.....

जाति प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जात है कि श्री.....आत्मज श्री
.....निवासी / ग्राम.....जिला / संभागमध्यप्रदेश के
निवासी हैं, जोजाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्यप्रदेश
शासन, आदिमजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्र.
एफ8-5/पच्चीस/4/84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा अधिमान्य किया गया है ।
श्री.....और या उनका परिवार सामान्यतः मध्यप्रदेश के जिला.....
संभागमें निवास करता है व मध्यप्रदेश राज्य में दिनांक.....को प्रव्रजन कर
चुका है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री(पिता का नाम)
क्रीमीलेयर सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों/वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं, जिसका उल्लेख भारत
सरकार,कामिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्र. 360/2/22/93/स्था. (एस.सी.टी.), दिनांक
8-9-93 द्वारा जारी सूची के कालम-3 में तथा मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप
क्रमांक एफ.7-26/93/1/आ. प्र., दिनांक 8 मार्च, 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट "ई" की
अनुसूची के कालम (3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारीके परिवार की
कुल वार्षिक आय रुपयेहै ।
दिनांक:.....

(सील)

हस्ताक्षर

प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम

पदनाम

(यह प्रमाण-पत्र जारी होने के दिनांक से 6 माह के लिये वैध रहेगा)

प्रारूप-4 :- (अ)

सैनिक वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र (नियम 1.3.7.1 देखें)
भूतपूर्व सैनिक/मृत प्रतिरक्षा कर्मचारी/स्थायी रूप से विकलांग प्रतिरक्षा कर्मचारी

सन्दर्भ क्रमांक
दिनांक.....

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती

.....
जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....
..वर्ष.....
के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....

.....
पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं, श्री/कुमारी.....
.....के पिता/माता हैं।

(अ) थलसेना/वायुसेना नौसेना के/की एक भूतपूर्व सैनिक हैं/सेवानिवृत्ति/सेवामुक्ति के
समय वे.....पद पर थे/थी और उनका सर्विस क्रमांकथा।

अथवा

(ब) जिन्होंने थलसेना/वायुसेना/नौसेना में.....पद पर सर्विस
क्रमांक.....के अधीन सेवा की है. सेवा के दौरान वे स्थाई रूप से विकलांग हो गये हैं
। सेवा के दौरान उनकी मृत्यु वर्षमें हो चुकी है।

स्थान :.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के

(कार्यालय सील)

प्रारूप :- 4 भाग (ब)

प्रारूप – भूतपूर्व सैनिक द्वारा स्थाई रूप से मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित होने संबंधी प्रमाण पत्र
(नियम 1.3.7.1 देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

मेरे समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रमाण पत्र के आधार पर प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी (उम्मीदवार का नाम)जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के पिता/माता सेवानिवृत्त भूतपूर्व सैनिक हैं और स्थायी रूप से(स्थान) तहसील.....जिला.....में व्यवस्थापित हो गये हैं ।

स्थान:-

दिनांक.....

जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर
(कार्यालय सील)

प्रारूप -5

मध्यप्रदेश में/ मध्यप्रदेश के बाहर अन्य राज्य में कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी
संदर्भ क्रमांक दिनांक

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/.....
..... जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा नाम)
.... वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....
.....पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार श्री/कुमारी.....के
पिता/माता हैं ।

(अ) थलसेना/वायुसेना/नौसेना.....के ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे मध्यप्रदेश में स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं. वे इस इकाई में दिनांकसे सेवारत हैं ।

(ब) थलसेना/वायुसेना/नौसेना मेंके ओहदे पर सर्विस क्रमांक.....के अधीन कार्यरत प्रतिरक्षा कर्मचारी हैं और वे मध्यप्रदेश राज्य के बाहर स्थित प्रतिरक्षा इकाई में पदस्थ हैं ।

स्थान :.....

दिनांक:.....

हस्ताक्षर आफिसर कमांडिंग.
कार्यालय सील

प्रारूप-6 : स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वर्ग हेतु प्रमाण-पत्र (नियम 1.3.7.2 देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

- (1) प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....(उम्मीदवार का नाम) पुत्र/पुत्री/श्री /कुमारी
.....(उम्मीदवार के पिता का नाम) श्री/श्रीमती
..... (उम्मीदवार के पिता/माता का नाम) के/की नैसर्गिक (Natural) पुत्र/पुत्री हैं. (जो श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का/की नैसर्गिक (Natural) पुत्र/पुत्री हैं।
- (2) श्री/श्रीमती.....(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का नाम) का नाम मध्यप्रदेश जिला (जिले का नाम) में संधारित (Maintained) स्वतंत्रता संग्राम के पंजी (Register) में क्रमांक.....पर पंजीकृत है।

स्थान.....

दिनांक.....

हस्ताक्षर क्लेक्टर
(कार्यालय की स्पष्ट मुहर)

प्रारूप-7 : वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

(नियम 1.4.2 का 2 (क) देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल
के द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....
.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के
लिये उम्मीदवार हैं ने नियमित छात्र/छात्रा के रूप में इस संस्था
.....(संस्था का नाम) में सत्रसे सत्र.....तक अध्ययन किया है।

स्थान.....

दिनांक.....

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर.....

नाम एवं पद

(कार्यालयीन सील)

प्रारूप-8 : वास्तविक निवासी प्रमाण-पत्र
(नियम 1.4.2. का (ख) देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....
आत्मज/आत्मजा/पत्नी/श्री.....जो तहसील.....जिला.....
....., मध्यप्रदेश के निवासी हैं, क्योंकि वह

(1) मध्यप्रदेश में पैदा हुआ है/हुई है.

अथवा

(2) वह/उसका पालक/वैध अभिभावक मध्यप्रदेश में निरंतर कम से कम 15 वर्ष से रह रहा है।

अथवा

(3) उसके पालकों में से कोई राज्य शासन का सेवारत या सेवानिवृत्त कर्मचारी है अथवा केन्द्रीय शासन का कर्मचारी है जो मध्यप्रदेश में सेवारत है।

(4) वह स्वयं अथवा उसके पालक, राज्य में पिछले पाँच वर्षों से कोई अचल संपत्ति, उद्योग अथवा व्यवसाय करते हैं इसके अतिरिक्त—

(1) उसने अपनी शिक्षा मध्यप्रदेश में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कम से कम तीन वर्ष तक प्राप्त की है जिसमें कक्षा एक के पूर्व की शिक्षा सम्मिलित नहीं होगी।

अथवा

(2) उसने मध्यप्रदेश स्थित किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था से निम्नलिखित परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा उत्तीर्ण की है :—

(क) 10+ 2 प्रणाली की दसवीं/बारहवीं कक्षा की परीक्षा

(ख) आठवीं कक्षा की परीक्षा.

दिनांक.....

.....

स्थान

प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम एवं सील.

प्रारूप-9. वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

(नियम 1.4.2 का 2 (ग)1 देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं, श्री/श्रीमतीका /की पुत्र/पुत्री हैं।

क) जोविभाग में.....पद पर(तिथि) से पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी हैं।

अथवा

(ख) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के कर्मचारी थे और जो(तिथि) को इस विभाग से सेवा निवृत्त हुए।

अथवा

(ग) जो.....विभाग मेंपद पर पदस्थ मध्यप्रदेश शासन के ऐसे कर्मचारी थे जिनकी मृत्यु सेवा में रहते हुए.....(तिथि) को हो गई थी।

अथवा

(घ) जो.....विभाग में.....पद पर पदस्थ मध्यप्रदेश के संवर्ग में धारित अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख/सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर
कार्यालयीन सील.

प्रारूप-10: वास्तविक निवासी संबंधी आवश्यकता हेतु प्रमाण-पत्र

(नियम 1.4.2 का 2 (ग)2 देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री हैं, जो दिनांक 1 जनवरी, 2009 को अथवा उसके पूर्व की तिथि.....से मध्यप्रदेश में स्थित.....विभाग में.....पद पर पदस्थ केन्द्रीय शासन/सार्वजनिक उपक्रम का/की कर्मचारी हैं।

स्थान.....

दिनांक.....

कार्यालय प्रमुख के हस्ताक्षर
नाम एवं पद
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप-11: मध्यप्रदेश में पुनर्व्यवस्थापन संबंधी प्रमाण-पत्र
(नियम 1.4.2 का 2 (ग)-3 देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.....जो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष.....के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम)..... पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उम्मीदवार हैं श्री/श्रीमती.....का/की पुत्र/पुत्री हैं, जोयोजना के तहत मध्यप्रदेश में व्यवस्थापित हैं। यह योजना भारत शासन/मध्यप्रदेश शासन द्वारा स्वीकृत पुनर्व्यवस्थापन योजना (Resettlement Scheme) है।
स्थान.....
दिनांक.....

हस्ताक्षर कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट

.....
(कार्यालयीन सील)

प्रारूप 12: जम्मू एवं कश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवार संबंधी प्रमाण-पत्र
(नियम 1.3.8 का 1 देखें)

Office of the Zonal Officer-----

TO WHOM IT MAY CONCERN

Certified that-----S. D/o-----

R/o----- Tehsil-----District-----
----- Pin-----is registered as migrant under Govt. Employee/Relief category in this zone vide Registration No.-----
----- D Form No-----R/Card No.----- at S.No-----
----- of his/her father ration card issued from this zone.

Zonal Officer/Tehsild
Seal of Tehsildar.

प्रारूप-13 : मध्यप्रदेश के अधिकारी/कर्मचारी जिनकी पदस्थापना आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु जम्मू एवं कश्मीर राज्य में की गई का प्रमाण-पत्र

(नियम 1.3.8 का 2 देखें)

संदर्भ क्रमांक.....

दिनांक.....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/कुमारी.....
..... आत्मज/आत्मजा श्रीजो व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित (परीक्षा का नाम).....वर्ष..... के आधार पर (पाठ्यक्रम का नाम).....पाठ्यक्रम में जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापित उम्मीदवारों की सीटों के विरुद्ध प्रवेश का उम्मीदवार हैं।

श्री.....(उम्मीदवार का नाम) के पिता/माता श्री/श्रीमतीमध्यप्रदेश सेवा के अधिकारी/कर्मचारी हैं जिनकी पदस्थापना जम्मू एवं कश्मीर राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के नियंत्रण हेतु दिनांकसे दिनांक.....तक (स्थान का नाम) में रही है।

विभागाध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत
अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रारूप-14 (नियम 1.6.2 देखें)

(उम्मीदवार को यह काउंसिलिंग फार्म क्र0 1 से 13 तक की प्रविष्टियाँ पूर्ण कर
काउंसिलिंग के समय लाना होगा)
संचालनालय, तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन, भोपाल -462004
पी.पी.टी. 2009 काउंसिलिंग फार्म
(उम्मीदवार द्वारा स्वयं भरा जावे)

उम्मीदवार यहाँ
अपना पासपोर्ट
साइज फोटो
चिपकायें

1. पी.पी.टी. 2009 का रोल नम्बर.....
2. मैरिट/प्रतीक्षा क्रमांक.....पी.पी.टी. प्राप्तांक.....
3. श्रेणी : अनारक्षित/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ी जाति/
विकलांग/जम्मू एवं काश्मीर राज्य का विस्थापित उम्मीदवार ।
4. वर्ग :- सैनिक/स्वतंत्रता संग्राम सेनानी (जो लागू न हो उसे काट दें)
5. (अ) पुरुष/स्त्री : (जो लागू हो उस पर सही का चिन्ह लगायें) पुरुष/स्त्री
(ब) राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी/गरीबी रेखा के नीचे के स्तर के व्यक्ति के
पुत्र/पुत्री (जो लागू न हो उसे काट दें)
6. पूरा नाम
(सरनेम) (नाम)
7. जन्मतिथि
8. पिता/पति का नाम
9. उत्तीर्ण की गई अर्हकारी परीक्षा (10+2) प्रणाली की 10 वीं कक्षा की परीक्षा/अन्य समकक्ष परीक्षा
का विवरण :-
(अ) परीक्षा का नाम..... उत्तीर्ण करने का वर्ष.....
(ब) संस्था का नाम.....
(स) जिले का नाम जहाँ शैक्षणिक संस्था स्थित है
10. कक्षा आप पी.पी.टी.-2009 के नियम 1.4.2 के तहत म0प्र0 के वास्तविक निवासी है ? (हाँ/नहीं)
11. क्या आपने निम्नलिखित मूल प्रमाण-पत्र संलग्न किये हैं ?(हाँ/नहीं में उत्तर अंकित करें)
 - (1) पी.पी.टी. -2009 की अंक सूची (हाँ/नहीं)
 - (2) अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची (हाँ/नहीं)
 - (3) आरक्षित श्रेणी एवं वर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं)
 - (4) वर्ग (SC/ ST/OBC)
 - (5) पी.पी.टी. नियम 1.4.2 के तहत म0प्र0 के वास्तविक संबंधी आवश्यकता की पूर्ति हेतु
निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं)
 - (6) चरित्र प्रमाण-पत्र (हाँ/नहीं)
 - (7) पी.पी.टी.2009 के नियम 1.3.8 के अनुसार जम्मू एवं काश्मीर राज्य के विस्थापितों के प्रवेश
हेतु सक्षम अधिकारी का प्रमाण पत्र (हाँ/नहीं)
 - (8) राज्य शासन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी/गरीबी रेखा के स्तर के व्यक्ति के पुत्र/पुत्री
होने संबंधी प्रमाण पत्र..... (हाँ/नहीं)

12. संस्था एवं ब्रांच की प्राथमिकता :

प्राथमिकता का क्रम	संस्था का नाम	इंजीनियरिंग ब्रांच
1.		
2.		
3.		
4.		

मुझे यह स्वीकार है कि मेरे द्वारा गलत जानकारी प्रस्तुत करने अथवा आवश्यक महत्वपूर्ण तथ्य छुपाने के फलस्वरूप यदि मैं किसी पाठ्यक्रम /संस्था/ब्रांच में प्रवेश पाने में सफल हो जाता/जाती हूँ अथवा बाद में किसी भी समय यह पाया जाता है कि मुझे किसी त्रुटिवश प्रवेश दिया गया है, तो मेरा प्रवेश तत्काल प्रभाव से बिना किसी सूचना के मेरे अध्ययनकाल के दौरान किसी भी समय निरस्त किया जा सकेगा।

.....
पिता/अभिभावक के हस्ताक्षर

.....
उम्मीदवार के हस्ताक्षर

(13) फीस की अग्रिम राशि के रूप में उम्मीदवार द्वारा संलग्न किया गया बैंक डाफ्टर जो रजिस्ट्रार, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी, विश्वविद्यालय को भोपाल में देय होगा।

- 1 डाफ्टर की राशि.....
- 2 डाफ्टर का क्रमांक एवं दिनांक.....
- 3 बैंक की ब्रांच का नाम जिसके द्वारा जारी किया गया

(केवल कार्यालयीन उपयोग हेतु)

मैंने उम्मीदवार द्वारा उपरोक्तानुसार दिये गये ब्यौरे का सत्यापन उसके मूल प्रमाण-पत्रों से कर लिया है और प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु उपलब्ध

- 1 वह निम्नलिखित कारणों से प्रवेश की पात्रता नहीं रखता/रखती है।

.....

सत्यापन अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं पद

काउंसिलिंग समिति द्वारा आवंटन

- 1 उम्मीदवार का पी.पी.टी. –2009 का रोल नंबरपी.पी.टी. प्राप्तांक.....
..... श्रेणी एवं वर्ग.....
- 2 उम्मीदवार के चयन के आधार पर निम्नानुसार संस्था एवं ब्रांच का आवंटन किया जाता है।
संस्था का नाम
ब्रांच का नाम

काउंसिलिंग समिति के सदस्य के हस्ताक्षर

प्रारूप 3(अ) मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र
(नियम 1.3.6 देखें)
स्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... जिला मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आत्मज श्री निवासी/ग्राम जिला/संभाग मध्य प्रदेश के निवासी है, जो जाति के हैं, जिसे पिछड़ा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश राज्य शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला..... संभाग..... में निवास करता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों /वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम -3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-26/93/1/आ.प्र. दिनांक 08 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट " ई " की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती / कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए है ।

दिनांक.....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम

प्रारूप 3(ब) मध्य प्रदेश के अन्य पिछडे वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) श्रेणी के आरक्षित स्थानों पर प्रवेश के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले प्रमाण पत्र (नियम 1.3.6 देखें)

अस्थायी प्रमाण पत्र
कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी
(प्रमाणीकरण)

अनुभाग..... जिला मध्य प्रदेश

पुस्तक क्रमांक.....
प्रमाण पत्र क्रमांक

जाति प्रमाण पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री आत्मज श्री निवासी/ग्राम जिला/संभाग मध्य प्रदेश के निवासी है, जो जाति के हैं, जिसे पिछडा वर्ग के रूप में मध्य प्रदेश राज्य शासन, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछडा वर्ग कल्याण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 8-5/पच्चीस/4/84 दिनांक 26 दिसम्बर 1984 द्वारा अधिमन्य किया गया है।

श्री और / या उनका परिवार सामान्यतः मध्य प्रदेश के जिला..... संभाग..... में निवास करता है ।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री क्रीमीलेयर (सम्पन्न वर्ग) व्यक्तियों /वर्गों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसका उल्लेख भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के परिपत्र क्रमांक 360/2/22/93/स्था.(एस.सी.टी.) दिनांक 08.09.93 द्वारा जारी सूची के कालम -3 में तथा मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 7-26/93/1/आ.प्र. दिनांक 08 मार्च 1994 के साथ संलग्न परिशिष्ट " ई " की अनुसूची के कालम (3) में किया गया है ।

2. प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक श्री/ श्रीमती / कुमारी..... के परिवार की कुल वार्षिक आय रूपए है ।

दिनांक.....

(सील)

हस्ताक्षर
प्रमाणीकरण अधिकारी का नाम
पदनाम